



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक: F.61(238)SSAAT/Ind.So.Au.Dir./2024-25/992

जयपुर, दिनांक: 18/7/2025

-कार्यालय आदेश:-

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के वार्षिक मास्टर संकुलर 2022-23 के चेप्टर 10 बिन्दु संख्या 10.1.4.1 में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है।

उक्त प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री सांवर मल वर्मा (सेवा निवृत्त आई. ए. एस.) को निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के पद पर 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो तक नियुक्त किया जाता है।

श्री वर्मा अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को देकर, अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान
जयपुर, दिनांक: 18/7/2025

क्रमांक: F.61(238)SSAAT/Ind.So.Au.Dir./2024-25/993-1005
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेंगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.03.2023 की अनुपालना सुनिश्चित करने के संदर्भ में प्रेषित है।
8. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेंगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वय (ईजीएस) समस्त जिलें।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
11. श्री सांवर मल वर्मा, बी-2/506, सेक्टर-2, चित्रकुट योजना, अजमेर रोड़, जयपुर-302011 Mob. 94141-89333 को पालनार्थ प्रेषित है।
12. प्रोग्रामर/सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

(मोहम्मद मोहसिन खान)
निदेशक (SSAAT)